

**छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर**  
**CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR**



कल्यानपुर, कानपुर  
KALYANPUR, KANPUR

पत्र सं. सी.एस.जे.एच.वि.वि./साम./ 186 /2015

दिनांक : 09/05/2015

**सम्बद्धता-आदेश**

उपरोक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (व्यवसायिक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन 2014) की धारा-37(2) के अधीन कार्य परिषद की अनुमति से सरस्वती महाविद्यालय, नियर टिक्सी टैम्पल, इटावा को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बीएड पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्वतंत्रपणेन योजनागत शैक्षिक सत्र 2014-15 का परीक्षाफल तथा NCTE-NRC के पत्र दिनांक 24.12.2014 के निर्देशों की अनुपालन आख्या के अभाव में सत्र 2015-16 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

1. शैक्षिक सत्र 2014-15 का परीक्षाफल शासनादेश दिनांक 27.09.2002 के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने एवं NCTE-NRC के पत्र दिनांक 24.12.2014 के निर्देशों की अनुपालन आख्या उपलब्ध करने की स्थिति में प्रथमतः सशर्त सम्बद्धता के आदेश की सम्बद्धता (स्थायी) मानती हुए दिनांक 01.07.2015 से सम्बद्धता आदेश निर्गत किये जायेंगे।
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्र-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिचमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी गिरनारता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उक्त राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राधिकारों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनिचमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
5. विश्वविद्यालय से अनुमोदित बीएड विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण कर्नाकर शिक्षण कार्य कराया जायेगा एवं उन्हें वेतन के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा आगामी शैक्षिक सत्र में सम्बद्धता प्रस्ताव के साथ उक्त से सम्बन्धित तमाम अभिलेख एवं प्रथमतः पाठ्यक्रम में नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाफल, नकल विहीन परीक्षा होने का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा।
6. संस्था द्वारा एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालय के मानकों के अनुरूप पाठ्यक्रम के शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु अर्ह शिक्षकों की गिरनारता उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। शिक्षण सत्र के दौरान आकस्मिक निरीक्षण के समय शिक्षकों की उपलब्धता एवं अन्य मानक पूर्ण होने की स्थिति में उक्त राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्था राष्ट्रीय उच्चशिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को सम्यक रूप से पूर्ण करेगी तथा उनकी गिरनारता को सुनिश्चित करेगी एवं एन.सी.टी.ई.ई. रेगुलेशन 2014 द्वारा निर्धारित समस्त मानकों/शर्तों का अनुपालन करेगी।
8. महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

(सम्बद्धता प्रदान करने)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रवक्ता, सरस्वती महाविद्यालय, नियर टिक्सी टैम्पल, इटावा।
2. प्रमुख लघु उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
3. निदेशक उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
5. कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव (परीक्षा), छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
7. सिस्टम मैनेजर, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
8. इन्चार्ज, ई-सी.पी.ई., छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
9. आदेश पुस्तिका।

(सम्बद्धता प्रदान करने)  
कुलसचिव